पंजीकृत / मेल

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्रांक 219 / स0क0 / पेंशन / 2022–23 दिनांक 23 अप्रैल 2022

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में वृद्धि किये जाने एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति–पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 40/XVII-2/22-19(05)2019-T.C. समाज कल्याण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 21.04.2022 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त दर ₹ 1400 / – प्रतिमाह में ₹ 100 / – प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर ₹ 1500 / – प्रतिमाह पेंशन (केन्द्रांश को भी सम्मिलित करते हुये) किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त कम में उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करते हुये वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम त्रैमास की मांग पेंशन की बढ़ी हुई दर ₹ 1500 / – के अनुसार आंगणित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः शासनादेश।

(बी0एल0 फिरमाल)
निदेशक।

पृष्ठांकन सं0 / / तदि्दनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, समाज कल्याण, देहरादून।

/
निदेशक।

संख्या– / XVII–2 / 22–19(05) 2019–TC

प्रेषक,

एल॰फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2022

विषयः–वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन के अशा॰पत्र संख्या–4 / 2 / XXVI / XXI / 2022–सी0एक्स॰ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में ₹100 / – प्रतिमाह की दर से वृद्धि करते हुये उक्त योजनान्तर्गत ₹1500 / – प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3– उक्त वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत बढ़ी हुई दरों में केन्द्रांश भी सम्मिलित है।

4– योजनान्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत शासनादेश संख्या–727 / XVII-2 / 16–39(विविध) / 2002–टीसी दिनांक 27 मई, 2016, शासनादेश संख्या–883 / XVII-2 / 16–01(02) / 2010 दिनांक 17 जून, 2016, शासनादेश संख्या–1747 / XVII–2 / 20–19(05) 2019 दिनांक 11 फरवरी, 2020 तथा शासनादेश संख्या–26 / XVII–2 / 22–19(05)2019TC दिनांक 28 मार्च, 2022 व अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा॰प॰सं॰–28178(म॰) / XXVII(3)/2022 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल॰फैनई)
प्रमुख सचिव।

Letter 2022

<u>पृष्ठांकन संख्याः– 40 /XVII–2/22–19(05) 2019TCतद्दिनांक</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰ समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

4– वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

5– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड।

6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

7– निजी सचिव, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।

8– निजी सचिव, सचिव, गोपन, (मंत्रिपरिषद अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।

9– निजी सचिव, सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।

10– आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

11–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

12–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

13–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

14–निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

15–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०

16–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।

17–गार्ड फाईल।

21/4/22

(एल॰फैनई)

प्रमुख सचिव।

Letter 2022

पंजीकृत / मेल

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्रांक / /स0क0 / पेंशन / 2022—23 दिनांक 23 अप्रैल 2022

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः— वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में वृद्धि किये जाने एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति—पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 40/XVII-2/22-19(05)2019-T.C. समाज कल्याण अनुभाग—2, देहरादून, दिनांक 21.04.2022 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त दर ₹ 1400 / — प्रतिमाह में ₹ 100 / — प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर ₹ 1500 / — प्रतिमाह पेंशन (केन्द्रांश को भी सम्मिलित करते हुये) किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त क्रम में उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करते हुये वित्तीय वर्ष 2022—23 के प्रथम त्रैमास की मांग पेंशन की बढ़ी हुई दर ₹ 1500 / — के अनुसार आंगणित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः शासनादेश।

(बी0एल0 फिरमाल)
निदेशक।

पृष्ठांकन सं0 / 219 / तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2— नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, समाज कल्याण, देहरादून।

निदेशक।